24.09.2024 – पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी वकील द्वारा वाद पत्र ... वादी की ओर से प्रभावी कार्यवाही नही हो रही है। मामला 2011 से चल रहा है। दिनांक 20.10.52011 से लगातार आज पर अवसर चल रहा है। आगामी कोई कार्यवाही नहीं होने से स्पष्ट जाहिर हो रहा है। कि वादी पक्ष कार्यवाही नहीं चाहता। वादी व वादी अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.10.16 14:09:08 IST
Reason: SelfAttested